न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 211/2015 (2015/00150)

1. रामकुमार पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन जोड़कियां तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा) मृतक जरिये वारिसान।

   1/1 जगदीश
   1/2 मेहरचन्द
   1/3 रामचन्द्र
   } पुत्रगण रामकुमार जाति जाट साकिन जोड़किया तहसील व जिला सिरसा (हरियाण)

—अपीलांट

बनाम

1. मनोराम पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन जोड़कियां तहसील व जिला सिरसा हरियाणा
2. भूप सिंह (मृतक) जरिये वारिसान

   2/1 नाथी पत्नी भूप सिंह जाति जाट साकिन जोड़कियां तहसील व जिला सिरसा हरियाणा

   2/2 सरजीत सिंह पुत्र भूप सिंह जाति जाट जोड़कियां तहसील व जिला सिरसा हरियाणा

   2/2 सरजीत सिंह पुत्र भूप सिंह जाति जाट साकिन जोड़कियां तहसील व जिला सिरसा हरियाणा

   2/3 मान सिंह पुत्र भूप सिंह जाति जाट जोड़कियां तहसील व जिला सिरसा हरियाणा

3. श्योनारायण
4. हरभगवान
5. श्योकरण
6. मलसिंह उर्फ मनोहर

} जाति जाट साकिन जोड़कियां तहसील व जिला सिरसा हरियाणा

— रेस्पोडेंट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:55 IST
Reason: SelfAttested

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा, आदेश दिनांक 19.11.2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2013

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 308/2003 अनवान मनीराम आदि बनाम श्योनारायण

उपस्थितिः–

श्री विजय सिंह कड़वासरा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री हवासिंह पूनियाँ, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5

श्री विजय कौशिक अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 3 ता 4

निर्णय दिनांक 24.11.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट रामकुमार मृतक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट्स ने एक दावा सं0 308/03 अनवान मनीराम आदि बनाम श्योनारायण इस्तकरारहक का प्रस्तुत किया जिसमें अपीलाण्ट की विधि सम्मत तामील नहीं करवाई गई और अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही वाद वादी दिनांक 21.06.2003 को डिक्री कर दिया गया और प्रश्गनत भूमि को अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवा ली। अपीलाण्ट ने अपने अपने विरूद्ध हुई एकतरफा कार्यवाही 18.06.2003 को निरस्त करने एवं प्रश्गनत निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया कि अपीलार्थीगण की तामील हो चुकी थी अप्रार्थी संख्या 2, 3, व 5 बावजूद तामील के उपस्थित नही आये, उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विचारण न्यायालय का आदेश सही होने का कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायलाय ने प्रार्थी/अपीलाण्टा का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 16:34:55 IST
Reason: SelfAttested

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कतई गलत है। प्रश्गनत वाद मनीराम आदि बनाम श्योनारायण आदि में ना तो असालतन तामील हुई और ना ही रजिस्टर्ड डाक द्वारा कोई तामील हुई थी फिर भी मातहत अदालत ने दरख्वास्त खारिज करने में कानूनी भूल की है। पक्षकारान की रिहायश जिला सिरसा में जोड़कियां नामक गांव में है जो सही एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पुख्ता व डाक का सही पता है। प्रार्थी के पते पर दावा हाजा का सम्मन लेकर कोई सवार किसी भी समय सम्मन लेकर नही आया। प्रतिवादी नं0 5/अपीलांट रामकुमार व उसके पिता श्योलाल प्रतिवादी नम्बर 6 का सम्मन श्योनारायण प्रतिवादी नम्बर 1 को देने कोई कारण नहीं था और ना ही न्यायायल द्वारा अलग रहने वाले भाई को सम्मन दे देने का कोई आदेश आदेशिका में दर्ज है। इसलिए लैण्ड रेवन्यु मैनवल व जाब्ता दीवानी हर दोनों की प्रक्रिया में प्रतिवादी का सम्मन की तामील नियमानुसार नही हुई है। तामील पर सिरसा तहसील व उपतहसील के जुम्मेवार सरकारी कर्मचारी की ना तो कोई मोहर और ना ही दरख्वासत है तथा इसलिए उक्त तामील जाब्ता दीवानी आदेश 5 के तहत नियमानुसार की गई तामील की श्रेणी मे नहीं आती है। प्रार्थना--पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में आवेदन धारा 5 मियाद अधियिम का अलग से प्रस्तुत किया जिसमें जिसमें संतोष जनक कारण बताये गये जिन्हें सन्तोषजनक नही मानकर अधीनथ न्यायालय ने भूल की है। अपीलाण्ट के परिवार में वादग्रस्त भूमि बाबत कोई बंटवारा नही हुआ और इसी भूमि बाबत वाद संख्या 195/92 श्योनारायण बनाम श्योलाल आदि चला था जो 22.07.1996 को खरिज किया गया है जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर तक चला था मगर अब पुनः वाद संख्या 195/92 में कोई कार्यवाही किये वगैर साजिशाना रूप से नया वाद 208/03 मनीराम आदि बनाम श्योनारायण को धोखे में रखते हुए डिक्री करवाया गया है। रजिस्टर्ड डाक से तामील का आदेश नहीं पारित किया गया पोस्टमैन की साक्ष्य नहीं करवाई गई। फिर भी विधि सम्मत तामील मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (25) 2018 पेज 63 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट ने अपनी बहस में कहा किया कि अपीलार्थीगण की तामील हो चुकी थी अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 5 बावजूद तामील के उपस्थित नही आये, उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 16:34:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद मनीराम आदि बनाम श्योनारायण आदि वाद संख्या 308/03 प्रस्तुत हुआ जिसे दिनांक 21.06.2003 को डिक्री किया गया। इस वाद में अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी, जिस पर अपीलाण्ट ने आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया था जो खारिज किया गया है। अपीलाण्ट की तरफ से उसे प्रश्नगत वाद में जानकारी नही होने के संबंध में साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किये है एवं ना ही तामील कुनिन्दा को परिक्षित करवाया गया एवं दावा की तामील उसके सगे भाईयों पर हुई एवं वे प्रतिवादीगण थे उन्होंने अपना बंटवारा किया है। बंटवारे के संबंध में वकील अप्रार्थी ने तहसीलदार भादरा को 21.06.2003 को प्रेषित किया गया है। इजराय आदेश पेश किया है जिसमें प्रार्थी रामकुमार को भी बंटवारा में वाद भूमि मिली है। ऐसी स्थिति में यह नही कहा जा सकता कि उसे तामील नही हो ओर उसका सम्पूर्ण हिस्सा समाप्त कर दिया गया हो। अपीलाण्ट ने यह भी नहीं बताया कि निर्णय के लगभग 5 वर्ष बाद उसे कैसे जानकारी हुई और कब उसने निर्णय की प्रतियां प्राप्त की। उक्त तथ्यों के विपरीत अपीलाण्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित हो। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.11.2015 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/XI/21

(करतारसिंह पूनिया) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:55 IST
Reason: SelfAttested